क्रम संख्या–93 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 14 जून, 2019 ई0
ज्येष्ठ 24, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1

संख्या 292/IX–1/302(2007)टीसी/2019
देहरादून, 14 जून, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 65, 111 एवं 213 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से प्रस्तावित उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2019 सभी सम्बन्धितों की जानकारी के लिये एतद्द्वारा सहर्ष प्रकाशित करते हैं।

2– ऐसे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, जिनकी प्रस्तावित नियमों से प्रभावित होने की सम्भावना है, सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित नियमावली के उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उससे सम्बन्धित आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड, देहरादून को भेजे जा सकते है।

उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 52 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 52 (2) के खण्ड (दो) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्–

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिवहन आयुक्त समय समय पर इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट संख्याओं को उनकी उपलब्धता को देखते हुये अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त उनके लिये 10,000 रूपये शुल्क को न्यूनतम आरक्षित मूल्य मानते हुये आनलाईन नीलामी हेतु वेबसाइट पर अधिसूचित कर सकता है। आनलाईन नीलामी की प्रक्रिया परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी।	परिवहन आयुक्त समय समय पर इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट संख्याओं को उनकी उपलब्धता को देखते हुये अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण संख्या 0001 हेतु न्यूनतम 1,00000 रूपये, 0002 से 0009, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888 तथा 9999 हेतु न्यूनतम 25,000 रूपये तथा शेष आरक्षित संख्याओं हेतु 10,000 रूपये न्यूनतम आरक्षित मूल्य मानते हुये आनलाईन नीलामी हेतु वेबसाइट पर अधिसूचित कर सकता है। आनलाईन नीलामी की प्रक्रिया परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी।

नियम 135 में संशोधन

3 मूल नियमावली के नियम 135 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्–

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
135 सामान्य (1) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान और उसके समस्त भागों को, जिसमें रंगाई कार्य और वार्निश भी सम्मिलित है, दरवाजों, खिड़कियों, सीटों, छतों, कमानियों, पहियों, कुशन लाइनिंग पेनल्स और समस्त फर्नीचरों और आपार्टमेंटस को स्वच्छ और अच्छी दशा में रखा जायेगा और उसका इंजन और मशीनें और समस्त कार्य करने वाले भागों को विश्वसनीय चालू हालत में रखा जायेगा।	**135 पंजीयन हेतु अनुमोदन** (1) राज्य में पंजीयन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक मोटरयान के निर्माता अथवा उनके अधिकृत डीलर/प्रतिनिधि द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष प्रपत्र एसआर 47–क में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ वाहन के प्रत्येक बेसिक/वैरियन्ट मॉडल के लिए उपनियम (2) में विहित शुल्क भुगतान करना होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–126 के अन्तर्गत प्राधिकृत टेस्टिंग एजेन्सी द्वारा जारी प्रमाण–पत्रों का अभिलेखीय परीक्षण करते हुये आवेदित बेसिक/वैरियन्ट मॉडलों का अनुमोदन आदेश जारी किया जाएगा। परन्तु यदि किसी वाहन के बेसिक/बैरियन्ट माडल का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण किया जाना आवश्यक हो, तो परिवहन आयुक्त वाहन के निर्माता/डीलर/ प्रतिनिधि को वाहन को सक्षम प्राधिकारी अथवा इस निमित गठित तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट कर सकेगा। ऐसे मामलों में तकनीकी समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर पंजीयन अनुमोदन आदेश जारी किया जायेगा।

(2) राज्य में पंजीयन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक मोटरयान के निर्माता अथवा उनके अधिकृत डीलर/प्रतिनिधि द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष प्रपत्र एसआर 47–क में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ उपनियम (4) में विहित शुल्क भुगतान करने पर वाहन का निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी अथवा परिवहन आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट समिति द्वारा किया जायेगा। यथा स्थिति सक्षम प्राधिकारी या समिति द्वारा पर्वतीय मार्गों पर वाहनों के संचालन की अनुमन्यता, व्हीलबेस, ओवर हैंग, सीटों की बनावट, आकस्मिक निकास, कर अदायगी आदि पक्षों पर विचार करते हुये अपनी संस्तुति निरीक्षण के दिनों से एक सप्ताह के भीतर परिवहन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(3) ऐसी संस्तुतियों के आधार पर परिवहन आयुक्त द्वारा वाहन को राज्य में पंजीयन किये जाने हेतु अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(4) उपनियम (2) के प्रयोजन हेतु वाहनों के निरीक्षण शुल्क निम्न प्रकार होगा–

दुपहिया वाहन के सम्बन्ध में रूपये 2000.00

हल्का मोटर वाहन के सम्बन्ध में रूपये 5000.00

मध्यम एवं भारी मोटर वाहन के सम्बन्ध में रूपये 10000.00

(2) उपनियम (2) के प्रयोजन हेतु वाहनों के राज्य में पंजीयन अनुमोदन हेतु आवेदन शुल्क निम्न प्रकार होगा–

दुपहिया वाहन के सम्बन्ध में रूपये 2000.00

हल्का मोटर वाहन के सम्बन्ध में रूपये 5000.00

मध्यम एवं भारी मोटर वाहन के सम्बन्ध में रूपये 10000.00

नियम 135क का अतःस्थापन

4 मूल नियमावली के नियम 135 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"**135 क**–प्रत्येक सार्वजनिक सेवायान और उसके समस्त भागों को, जिसमें रंगाई कार्य और वार्निश भी सम्मिलित है, दरवाजों, खिडकियों, सीटों, छतों, कमानियों, पहियों, कुशन लाइनिग, पेनल्स और समस्त फर्नीचरों और अपार्टमेंटस को स्वच्छ और अच्छी दशा में रखा जाएगा और उसका ईंजन और मशीनें और समस्त कार्य करने वाले भागों को विश्वसनीय चालू हालत में रखा जाएगा।"

नियम 166 का विलोपन

5 मूल नियमावली के नियम 166 का विलोपन किया जाता है।

नियम 169 में संशोधन

6 मूल नियमावली के नियम 169 के उपनियम (1) एवं उपनियम (4) के खण्ड (तीन) एवं (चार) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
केन्द्रीय नियमावली के नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र के रुप में प्राधिकृत किए जाने के लिए प्राधिकृत गैराज/कार्यशालाओं, पैट्रोलियम कम्पनियों, पैट्रोल पम्प एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा इस रुप में कार्य करने के लिए अपर परिवहन आयुक्त को प्रपत्र एस0आर0–48 में लिखित आवेदन–पत्र दिया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे–	केन्द्रीय नियमावली के नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र के रुप में प्राधिकृत किए जाने के लिए प्राधिकृत गैराज/कार्यशालाओं, पैट्रोलियम कम्पनियों, पैट्रोल पम्प, स्वैच्छिक संस्थाओं **अथवा व्यक्ति** को इस रूप में कार्य करने के लिये परिवहन आयुक्त को प्रपत्र एस0आर0–48 में लिखित आवेदन–पत्र दिया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे–
(एक) परिवहन आयुक्त के नाम बंधक रू0 25000 की प्रतिभूति नकद या परिवहन आयुक्त द्वारा मान्य किसी सरकारी प्रतिभूति के रूप में;	(एक) परिवहन आयुक्त के नाम बंधक रू0 25000 की प्रतिभूति नकद या परिवहन आयुक्त द्वारा मान्य किसी सरकारी प्रतिभूति के रूप में;
(दो) केन्द्रीय नियमावली के नियम 126 में उल्लिखित (प्रोटोटाईप) एजेन्सी/संस्था द्वारा अनुमोदित जांच सयंत्र का वीजक, स्थापना प्रपत्र एवं अन्य उपलब्ध उपकरणों की सूची का वीजक एजेन्सी पर उपलब्ध उपकरणों की सूची;	(दो) केन्द्रीय नियमावली के नियम 126 में उल्लिखित (प्रोटोटाईप) एजेन्सी/संस्था द्वारा अनुमोदित जांच सयंत्र का वीजक, स्थापना प्रपत्र एवं अन्य उपलब्ध उपकरणों की सूची का वीजक और एजेन्सी पर उपलब्ध उपकरणों की सूची;
(तीन) स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आवेदन की स्थिति में ऐसी संस्था का सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रस्तावित जांच केन्द्र के भवन का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) जो किसी मान्यता प्राप्त वास्तुविद (आर्कीटेक्ट) द्वारा निर्गत किया गया हो, पता प्रमाण, विद्युत संयाजन (कनैक्शन) का प्रमाण;	(तीन) स्वैच्छिक संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा आवेदन की स्थिति में प्रस्तावित जांच केन्द्र के भवन का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) जो किसी मान्यता प्राप्त वास्तुविद (आर्कीटेक्ट) द्वारा निर्गत किया गया हो, पता प्रमाण, विद्युत संयाजन (कनैक्शन) का प्रमाण; स्वैच्छिक संस्था की स्थिति में ऐसी संस्था का सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र।

(चार) साझेदारी फर्म की स्थिति में भागीदार विलेख (पार्टनर शिप डीड) की प्रति;	(चार) साझेदारी फर्म की स्थिति में भागीदार विलेख (पार्टनर शिप डीड) की प्रति;
(पांच) मानक स्तर से अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करने वाली वाहन को सुधारने हेतु वाहन के इंजन की जांच और मरम्मत के लिए उपकरणों की सूची	(पांच) मानक स्तर से अधिक प्रदूषण उत्सर्जित करने वाली वाहन को सुधारने हेतु वाहन के इंजन की जांच और मरम्मत के लिए उपकरणों की सूची
(छः) उपनियम (2) के अनुसार फीस।	(छः) उपनियम (2) के अनुसार फीस।
(तीन) "प्रदूषण नियंत्रण में है" प्रमाण पत्र जारी करने के लिये एजेन्सी द्वारा यान स्वामी से अधिकतम **70 रूपया** शुल्क लिया जायेगा।	**(तीन)** "प्रदूषण नियंत्रण में है" प्रमाण पत्र जारी करने के लिये एजेन्सी द्वारा यान स्वामी से अधिकतम **100 रूपया** शुल्क लिया जायेगा।
(चार) "प्रदूषण नियंत्रण में है" प्रमाण पत्र का फार्म सम्बन्धित एजेन्सी को परिवहन आयुक्त कार्यालय अथवा सम्बन्धित सम्भागीय/ उपसम्भागीय कार्यालय से **20 रूपया** प्रति फार्म जमा कराने पर उपलब्ध कराया जायेगा। एजेन्सी द्वारा अनिवार्यतः इस प्रकार प्राप्त किये फार्म पर "प्रदूषण नियंत्रण में है" प्रमाण पत्र जारी करना होगा। उस पर प्राधिकृत आपरेटर के हस्ताक्षर के सिवाय कोई भी प्रविष्टि हाथ से नहीं की जायेगी। प्रदूषण नियन्त्रण में है की जांच एवं प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वेब आधारित व्यवस्था प्रभावी होने पर एजेन्सी द्वारा वेब साफ्टवेयर के माध्यम से "प्रदूषण नियन्त्रण में है" प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे। इस हेतु एजेन्सी "ब्राड बैंड" या "डाटा कार्ड" के माध्यम से इन्टरनेट संयोजन की व्यवस्था करेगी जो परिवहन विभाग के केन्द्रीय सर्वर से अनवरत जुडा रहेगा और वेब साफ्टवेयर के माध्यम से "प्रदूषण नियन्त्रण में है" प्रमाण पत्र का फार्म डाउनलोड़ करने की स्थिति में एजेन्सी द्वारा 20 रूपया प्रति प्रमाण पत्र की दर से परिवहन आयुक्त कार्यालय में अग्रिम में नकद जमा करना होगा।	**(चार)** "प्रदूषण नियंत्रण में है" प्रमाण पत्र का फार्म सम्बन्धित एजेन्सी को परिवहन आयुक्त कार्यालय अथवा सम्बन्धित सम्भागीय/ उपसम्भागीय कार्यालय से **30 रूपया** प्रति फार्म जमा कराने पर उपलब्ध कराया जायेगा। एजेन्सी द्वारा अनिवार्यतः इस प्रकार प्राप्त किये फार्म पर "प्रदूषण नियंत्रण में है" प्रमाण पत्र जारी करना होगा। उस पर प्राधिकृत आपरेटर के हस्ताक्षर के सिवाय कोई भी प्रविष्टि हाथ से नहीं की जायेगी। प्रदूषण नियन्त्रण में है की जांच एवं प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वेब आधारित व्यवस्था प्रभावी होने पर एजेन्सी द्वारा वेब साफ्टवेयर के माध्यम से "प्रदूषण नियन्त्रण में है" प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे। इस हेतु एजेन्सी "ब्राड बैंड" या "डाटा कार्ड" के माध्यम से इन्टरनेट संयोजन की व्यवस्था करेगी जो परिवहन विभाग के केन्द्रीय सर्वर से अनवरत जुडा रहेगा और वेब साफ्टवेयर के माध्यम से "प्रदूषण नियन्त्रण में है" प्रमाण पत्र का फार्म डाउनलोड़ करने की स्थिति में एजेन्सी द्वारा **30 रूपया प्रति** प्रमाण पत्र की दर से परिवहन आयुक्त कार्यालय में अग्रिम में नकद जमा करना होगा।

नियम 229 में संशोधन

7 मूल नियमावली के नियम 229 उपनियम (3) के क्रम संख्या (2) के खण्ड (पांच), (छः), (सात) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ 2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(पांच) सिलबर प्लेटेड बटन	(पांच) कन्धों पर उत्तराखण्ड परिवहन का मोनोग्राम ।
(छः) काले जूते	(छः) भूरे जूते
(सात) पांच नोक वाले दो स्टार जो माप में 25 मी.मी व्यास के होंगे। स्टार हल्का क्रास्ट किया हुआ होगा, किन्तु केन्द्र में कोई डिजाइन नहीं होगी। कन्धे का बैज मोटे अक्षरों में उत्तराखण्ड परिवहन अक्षर से युक्त होगा और कन्धे की पट्टी के तल पर पहना जाएगा। स्टार और अक्षर सफेद धातु के होंगे,	(सात) आधा काला और आधा लाल रंग की कन्धो की पट्टी पर समान्तर शोल्डर स्ट्रेप पर पांच नोक वाले येलो प्लटेड तीन स्टार।

8 मूल नियमावली के नियम 229 के अंत में यह टिप्पणी अतःस्थापित की जायेगी–

टिप्पणी– उपनियम (3) के क्रम संख्या–(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) में उल्लिखित कार्मिकों द्वारा पहने जाने वाली वर्दी की बांह पर उत्तराखण्ड परिवहन का निर्धारित डिजाईन का मोनोग्राम लगाया जायेगा।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,
सचिव।